न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : अनिल कुमार II, RAS

अपील संख्या 75 / 2023

1 राजेन्द्र आयु साल पुत्र हरफुल जाति जाट निवासी लाम्बा तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनूं।
2 शीशपाल पुत्र चुनाराम
3 रामलाल पुत्र चुनाराम
जाति जाट निवासी लाम्बा तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनूं।
4 भतेरी देवी स्त्री हरफुल जाति जाट निवासी लाम्बा तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनूं।
5 हवासिंह पुत्र हरफुल जाति जाट निवासी लाम्बा तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनूं।
6 सुमन पुत्री हरफुल स्त्री हवासिंह जाति जाट निवासी रामपुरा तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनूं।

अपीलांट्स

बनाम

1 श्रीराम पुत्र भगवानाराम जाति जाट निवासी लाम्बा तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनूं।
2 विधाधर पुत्र हणमान जाति मेघवाल निवासी लाम्बा तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनूं।
3 बिमला पुत्री हणमान स्त्री बलवीर जाति मेघवाल निवासी लाम्बा तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनूं हाल निवासी सूरतपूरा तहसील व जिला चुरू।
4 कमला पुत्री हणमान स्त्री चंदगीराम जाति मेघवाल निवासी लाम्बा तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनूं हाल निवासी अहीरो की ढाणी तन बड़ाऊ तहसील गुढ़ा गौड़जी जिला झुन्झुनूं।
5 इन्दिरा पुत्री हणमान स्त्री संत कुमार जाति मेघवाल निवासी लाम्बा तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनूं हाल निवासी ओजटू तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनूं।
6 जयसिंह पुत्र मालाराम जाति चमार निवासी लाम्बा तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनूं।

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

7 विरसिंह पुत्र माला जाति चमार निवासी लाम्बा तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनूं।
8 विजय सिंह पुत्र कुरड़ा जाति चमार निवासी लाम्बा तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनूं।
9 मदनलाल पुत्र भगवाना जाति जाट निवासी लाम्बा तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनूं।
10 किशनलाल पुत्र भगवाना जाति जाट निवासी लाम्बा तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनूं।
11 तहसीलदार भू.अभि. चिड़ावा जिला झुन्झुनूं।
12 ग्राम पंचायत लाम्बा जरिये सरपंच।
13 गुलाब पुत्र चुनाराम जाति जाट निवासी लाम्बा तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनूं।

रेस्पोडेन्टस

अपील विरूद्ध आदेश/निर्णय दिनांक 27.07.2023
मुकदमा उनवानी श्रीराम बनाम मृतक हरफुल वगै.
प्रार्थना पत्र अ. धारा 251 ए राज. टिनेन्सी एक्ट 1955
मु.नं. 03/2018 बअदालत उपखण्ड अधिकारी चिड़ावा

उपस्थिति :
1. श्री शिवनारायण सिंह, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री राजेश पुनियां, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

—निर्णय—

दिनांकः— 4/11/25

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चिड़ावा द्वारा मुकदमा नम्बर 03/2018 में पारित निर्णय दिनांक 27.07.2023 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में प्रार्थी रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत भूमि खसरा नम्बर हाल 470 वाके ग्राम चिड़ावा का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय के तत्कालीन पीठासीन अधिकारी संदीप चौधरी को दिनांक 18.07.2023 से लगातार दिनांक 06.08.2023 तक अवकाश पर होना बताया गया है। इसके अलावा यह भी उल्लेखनीय है कि दिनांक 31.07.2023 को उक्त अधिकारी महोदय का स्थानान्तरण आदेश भी हो चुका है। इसके बावजूद उक्त अधिकारी ने अपने आपके अवकाश पर रहने के दौरान ही दिनांक 27.07.2023 को विचाराधीन निर्णय रेस्पोडेन्ट 1/प्रार्थी से मिली भगत कर अपने लालच के वशीभूत होकर किया। इसके अलावा अपीलान्टस की ओर से इन्हें विचारण न्यायालय के पीठासीन अधिकारी संदीप चौधरी से न्याय मिलने की आशंकाा जताते हुये इसके लिए माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में प्रकरण के अन्तरण के लिए प्रार्थना पत्र उनवानी राजेन्द्र बनाम संदीप चौधरी मु.नं. 2022/7132/झुन्झुनू दिनांक 27.02.2023 लंबित है जिसमें नियत तिथि दिनांक 27.02.2023 तक अपने कोमेन्टस भिजवाने के दिशा निर्देश दिये गये थे। स्वयं प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 ने की स्वीकारोक्ति के अनुसार उसकी खातेदारी के खेत में आवागमन के लिए उसने पूर्व में अपीलान्टस के खसरा नम्बर 472 में से उसी स्थान पर से रास्ता कायम करने के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था जिसके बारे में माननीय न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल अजमेर व माननीय उच्च न्यायालय बैंच जयपुर के द्वारा पूर्व में किये गये निर्णयों के अनुसार प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 के खेत में आवागमन के लिए वैकल्पिक रास्ता होने के आधार पर धारा 251 राज. टिनेन्सी एक्ट के तहत कार्यवाही कर अपीलान्टस के खेत में से रास्ता दिलवाये जाने की प्रकिया को सही नहीं माना। जिसके बारे में समस्त बाते स्वीकार करते हुये प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 की ओर से विचारण न्यायालय के समक्ष उसके

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

खेत में आवागमन के लिए मौजुद वैकल्पिक रास्ता को चौड़ा करवाये जाने के लिए विचारण न्यायालय में निवेदन किया गया था जबकि इस प्रकार की आबादी क्षेत्र में रास्ता चौड़ा करवाने की कोई कार्यवाही धारा 251 क रा. टिनेन्सी एक्ट के तहत नहीं की जा सकती। विचारण न्यायालय के समक्ष प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 की ओर से प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र दिनांक 01.04.2022 में इस प्रकार उल्लेख किया गया है कि गैर मु. जोहड़ में से रास्ता दिये जाने का उल्लेख नहीं है इसलिये इस बिन्दु पर तहसीलदार चिड़ावा से मौका देखकर रिपोर्ट बनाये जाने के लिए कहा गया है कि प्रार्थी द्वारा 12 फीट चौड़ा रास्ता अपनी जमीन की जोत के लिए किस प्रकार से प्रदान किया जा सकता है व किस प्रकार धारा 251 ए का लाभ दिया जा सकता है। इस प्रकार की कोई मंशा होना धारा 251 ए राज. टिनेन्सी एक्ट के प्रावधानों की नहीं है क्योंकि प्रावधानों में स्पष्ट है कि केवल किसी खातेदार की अत्यान्तिक आवश्यकता के लिए ही व उसके लिए कोई वैकल्पिक रास्ता मौजुद नहीं होने की सूरत में ही धारा 251 ए का लाभ प्रदान किया जा सकता है तथा यह भी स्पष्ट है कि इस धारा का उपयोग किसी प्रार्थी की सुविधा के लिए नहीं किया जा सकता। विचारण न्यायालय ने धारा 251 ए राज. टिनेन्सी एक्ट के प्रावधानों को भली भांति न समझते हुये जानबुझकर गलत आदेश दिया है क्योंकि प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 व 10 के खातेदारी के खसरा नम्बर 470 में आवागमन के लिए वैकल्पिक रास्ता भी मौजूद है जिसे पहले ही न्यायालय श्रीमान द्वारा माना जाकर इसी आधार पर प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 का प्रार्थना पत्र 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 खारिज किये जाने का आदेश दिया गया है। प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 की ओर से जिस ए से बी रास्ता को चौड़ा करवाने के लिए न्यायालय श्रीमान के समक्ष धारा 251 ए राज. टिनेन्सी एक्ट 1955 प्रस्तुत किया गया है वह रास्ता स्वीकृत रूप से आबादी में स्थित होने से धारा 251 ए के प्रावधान लागू नही होते। प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 के आवागमन के लिए रास्ता आबादी में स्थित है तो ऐसी स्थिति में इस प्रकार के रास्ता को चौड़ा करवाने की कार्यवाही या तो ग्राम पंचायत अधिनियम 1994 के प्रावधानों के तहत ग्राम पंचायत में कार्यवाही की जा सकती है या सक्षम सिविल न्यायालय में कार्यवाही कर इस प्रकिया को अंजाम दिया जा सकता है। जिसके लिए प्रार्थी स्वतंत्र है परन्तु प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 ने रास्ता चौड़ा करवाये जाने का गलत

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

अर्थ लगाकर विचारण न्यायालय के समक्ष धारा 251 ए आर.टी.एक्ट के प्रावधानों के तहत प्रार्थना पत्र गलत प्रस्तुत किया जिसका सुनवाई का क्षेत्राधिकार विचारण न्यायालय को नहीं था, परन्तु दौराने कार्यवाही प्रार्थी व विचारण न्यायालय के पीठासीन अधिकारी ने मिलकर एक झूठा प्रार्थना पत्र दिनांक 01.04.2022 को पत्रावली के रिकार्ड पर लेकर उसमें वास्तविक तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत कर उसके आधार पर मौके की रिपोर्ट तहसीलदार चिड़ावा से बिना किसी अधिकारी के मंगवाई तथा उसे आधार बनाकर विचारण न्यायालय ने गलत आदेश पारित किया जो निरस्त होने योग्य है। अपील स्वीकार की जावें। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में डीएनजे 2023(2) राज. पेज 1041, आरआरटी 2014(1) पेज 40, आरआरटी 2021(1) पेज 330, आरआरटी 2021(1) पेज 1286, आरआरटी 2023(1) पेज 247, आरआरटी 2022–23 सप्ली पेज 129, आरआरटी 2023(2) पेज 1165, डीएनजे 2023(1) पेज 340 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि आवेदक के भूमि में जाने हेतु जोहड़ से जाने वाला रास्ता राजस्व रिकार्ड में कटा हुआ नहीं है व रास्ते के चारो तरफ पक्का निर्माण कार्य बना रखा है, और ना ही गैर मुमकिन जोहड़ से रास्ता राजस्व रिकार्ड में कटवाने, हेतु आवेदक को दिया जा सकता है। नायब तहसीलदार मण्ड्रेला ने अपनी रिपोर्ट में वर्णित किया गया है कि प्रार्थी के खसरा नम्बर 470 का विभाजन होने पर प्रार्थी के खसरा नम्बर 741/470 में आने–जाने हेतु खसरा नम्बर 472 से ही सबसे निकटतम दूरी का रास्ता है व ग्राम हमीरवास तहसील झुन्झुनूं की है जिसमें भी मौके पर कोई रास्ता नहीं है एवं उत्तर दिशाओं में गै.मु. जोहड़ है जो माननीय राज. उच्च न्यायालय ने डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में निर्णय दिनांक 02.08.2004 में ऐसी गै.मु. भूमियों को दिनांक 15.08.1947 की स्थिति बहाल करने के आदेश प्रदान किये है। विचारण न्यायालय ने धारा 251 ए के विधिक प्रावधानों की पालना में मौका रिपोर्ट प्राप्त कर निकटतम दूरी तय कर वैकल्पिक रास्ते का अभाव देखकर विचाराधीन निर्णय से आवेदन

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

स्वीकार करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रस्तुत प्रकरण में रेस्पोडेन्ट नम्बर 1/प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र विचारण न्यायायल के समक्ष प्रस्तुत कर प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 व रेस्पोडेन्ट नम्बर 10 किशनलाल के द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष मौजुदा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने से पहले जमीन खसरा नम्बर 470 में आने जाने के लिए अप्रार्थीगण/अपीलान्टस के खसरा नम्बर 472 में से रास्ता कायम करवाने के लिए एक प्रार्थन पत्र उनवानी किशनलाल बनाम शिशपाल मु.नं. 508/2012 पेश किया गया है। यह प्रार्थना पत्र विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 04.02.2014 को स्वीकार किया गया।

इस निर्णय दिनांक 04.02.2014 को विरूद्ध अपीलान्टस द्वारा इस न्यायालय में अपील उनवानी शिशपाल वगै. बनात किशनलाल वगे. मु.नं. 14/2014 प्रस्तुत की गई। इस न्यायालय द्वारा दिनांक 11.06.2014 को निर्णय पारित करते हुए विचारण न्यायालय के निर्णय दिनांक 04.02.2014 को निरस्त किया गया।

इस न्यायालय के उक्त अपील संख्या 14/2014 के निर्णय दिनांक 11.06.2014 के विरूद्ध निगरानी उनवानी किशनलाल बनाम शिशपाल वगै. मु.नं. 3358/2014 माननीय राजस्व मण्डल अजमेर बैंच जयपुर में प्रस्तुत की गई। उक्त निगरानी दिनांक 25.08.2014 को खारिज की जाकर दिनांक 11.06.2014 के इस न्यायालय के निर्णय की पुष्टि की गई।

विचारण न्यायालय के समक्ष स्वयं रेस्पोडेन्ट/प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अभिकथन किया गया है कि निगरानी संख्या 3358/14 में पारित निर्णय दिनांक 25.08.2015 के विरूद्ध एस.बी. सिविल रिट पीटीशन नम्बर 17934/2015 माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान जयपुर में प्रस्तुत की गई जिसमें विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र के साथ पेश नजरी नक्शा में दर्शित ए से बी रास्ता को प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 व रेस्पोडेन्ट नम्बर 10 को चौड़ा करवा सकने की स्वतंत्रता दिया

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

जाना बताया तथा प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 अपने उक्त रिट पीटीशन को उक्त अनुसार रास्ता चौड़ा करवाने की स्वतंत्रता के साथ खारिज किया जाना भी बताया है।

उक्त अनुसार कथन करते हुये प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 की ओर से विचारण न्यायालय के समक्ष उसके प्रार्थना पत्र के संलग्न नजरी नक्शा में दर्शाये ए, बी रास्ता को चौड़ा करवाने हेतु प्रस्तुत किया तथा विचारण न्यायालय से रिलीफ चाही कि प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट नम्बर 10 के खेत खसरा नम्बर 470 में आने जाने के लिए उंटगाड़ी, ट्रेक्टर लाने ले जाने के लिए मौजुदा प्रार्थना पत्र के संलग्न नजरी नक्शा में दर्शित बिन्द ए से बी रास्ता की चौड़ाई 12 फीट किये जाने व इस रास्ता से अनावेदकगण नम्बर 1 लगायत 5 द्वारा किये गये अतिक्रमण को हटाये जाने व इस रास्ता को खसरा नम्बर 465, 462 वाके ग्राम लाम्बा के राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने की रिलीफ चाही। विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय से आवेदन स्वीकार किया है।

प्रस्तुत प्रकरण में विचारण न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के विरूद्ध अपीलान्ट द्वारा माननीय मण्डल में मुन्तकिली आवेदन प्रस्तुत किया जा चुका था। माननीय मण्डल द्वारा विचारण न्यायालय से टिप्पणी मांगी गई थी। पीठासीन अधिकारी का स्थानान्तरण हो चुका था। इसके उपरांत भी विचारण न्यायालय में विचाराधीन निर्णय पारित कर विधिक त्रुटि की है।

प्रस्तुत प्रकरण में प्रस्तावित रास्ते के मध्य में आबादी भूमि आती है। इस संदर्भ में विचारण न्यायालय ने विधिक स्थिति का विवेचन किये बिना विचाराधीन निर्णय पारित किया है। प्रस्तुत प्रकरण में पूर्व में इस न्यायालय द्वारा धारा 251 ए का आवेदक का आवेदन खारिज किया गया है। इन तथ्यों का विवेचन किये बिना तहसीलदार से धारा 251 ए के विधिक प्रावधानों के अनुसार उभयपक्ष की उपस्थिति में पुनः मौका रिपोर्ट प्राप्त किये बिना विचाराधीन निर्णय पारित कर विचारण न्यायालय ने विधिक त्रुटि की है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है।

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि उभयपक्ष की उपस्थिति में तहसीलदार से धारा 251 ए के विधिक प्रावधानों की पालना में पुनः मौका रिपोर्ट प्राप्त कर प्रकरण में पूर्व में निस्तारित आवेदन धारा 251 ए के संदर्भ में विचारण न्यायालय, इस न्यायालय, माननीय मण्डल एवं राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णयों की पालना में विधि के आलोक में विस्तृत विवेचन कर बाद सुनवाई प्रकरण में गुणावगुण पर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 28.11.2025 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 4/12/25 को सरे इजलास सुनाया गया।

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
(कैम्प झुन्झुनूं)

(अनिल कुमार II)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर